राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संचिका सं0—61 / 2023 929

प्रेषक,

संजय कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचयात / नगरपालिका)
—सह— जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना, दिनांक— 3.3.24

विषय :— माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि कतिपय मामलों में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के संगत प्रावधानों के तहत आयोग के आदेश के उपरान्त भी पदच्युत किये गये पदधारक पद का उपयोग कर रहे हैं, जो अत्यंत गंभीर विषय है। इससे न केवल वैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है वरन पदच्युत किये गये पदधारकों के स्तर से अपने हित में वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय लिया जा सकता है, जो कि वैधानिक रूप से अवैध होगा।

ध्यातव्य रहे कि आयोग के न्यायालय में संस्थित वाद के अंतिम आदेश पर आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर के साथ ही आदेश तत्क्षण प्रभावी हो जाता है। इसके उपरान्त जिला स्तर से किसी अन्य आदेश को निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल और केवल उस आदेश का तामिला आवश्यक होता है।

उक्त वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि आयुक्त महोदय के न्यायालय से निर्णय पारित होने के साथ ही निर्णय को अविलम्ब लागू करते हुए इसका तामिला संबंधित पक्षों को करा दिया जाए। **यदि आपके अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा इसकी ससमय सूचना आपको नहीं दी जाती है, तो उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आयुक्त महोदय के न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि सम्मत रूप में अविलम्ब लागू किया जा सके।**

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी इसकी सूचना दी जाए।

विश्वासभाजन
03/03/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।